रील/का.एवंऔ.सं./2022-23/ईपीएस-95/411/63

दिनांक/Date: 09.02.2023

**कार्यालय परिपत्र / OFFICE CIRCULAR**

**विषय:** **माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 4 नवंबर 2022 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ईपीएस, 1995 के पैरा 11(3) और पैरा 11(4) के तहत 'संयुक्त विकल्प फार्म' प्रस्तुत करना।**

**Subject:** **Submission of 'Joint Option Form' under Para 11(3) and Para 11(4) of EPS, 1995 in accordance to the directions given by the Hon'ble Supreme Court vide Order dated 4th November 2022.**

1.0 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 4 नवंबर 2022 के पैरा 44(11) के अनुसार अधिसूचना सं. जी. एस. आर. 609(ई) दिनांक 22 अगस्त 2014 द्वारा शुरु की गई पेंशन योजना में किए गए संशोधन छूटप्राप्त संस्थापनाओं के कर्मचारियों पर उसी तरह लागू होंगे जिस तरह नियमित संस्थापनाओं के कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

As per Para 44(ii) of the order dated 04th November 2022 of Hon'ble Supreme Court, amendment to the Pension scheme brought about by the notification No. G.S.R. 609(E) dated 22nd August 2014 shall apply to the employees of the exempted establishments in the same manner as the employees of the regular establishments.

इसलिए राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (रील) के कर्मचारी भी वास्तविक वेतन पर पेंशन प्राप्त करने के लिए 'संयुक्तः विकल्प फार्म' प्रस्तुत करने के लिए पात्र हैं।

Therefore, Employees of Rajasthan Electronics & Instruments Limited (REIL) are also eligible for submission of 'Joint Option Form' for availing pension on actual salary.

2.0 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने परिपत्र सं.- पेंशन/2022/54877/15149 दिनांक 29/12/2022 और शुद्धिपत्र परिपत्र सं.- पेंशन/2022/54877/15238 दिनांक 05/01/2023 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04/11/2022 के अनुपालन में अनुदेश जारी किया था।

Employees' Provident Fund Organization (EPFO) had issued instructions in compliance of the Order of the Hon'ble Supreme Court dated 04/11/2022 vide circular No. Pension/2022/54877/15149 dated 29/12/2022 and corrigendum vide circular No. Pension/2022/54877/15238 dated 05/01/2023.

3.0 ईपीएफओ परिपत्र सं. पेंशन/2022/54877/15149 दिनांक 29.12.2022 के अनुसार, जिन कर्मचारियों ने संशोधन-पूर्व की योजना के पैरा 11(3) के तहत कोई विकल्प लिए बिना 1 सितंबर 2014 से पहले 58 वर्षों की आयु प्राप्त कर ली है, वे सदस्यता से पहले ही निर्गमित हो चुके हैं। इसलिए, वे इस निर्णय के हितलाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।

As per EPFO Circular No. Pension/2022/54877/15149 dated 29.12.2022; Employees who attained the age of 58 years prior to 1st September 2014 without exercising any option under Para 11(3) of the pre-amendment scheme have already exited from the membership. Therefore, they would not be entitled to the benefits of this judgment.

**शेष पृष्ठ 2 पर**

4.0 उपलब्ध जानकारी के अनुसार, रील के कोई भी पूर्व कर्मचारी जो 01/09/2014 से पहले ईपीएस 95 से निर्गमित हुए हैं, ईपीएफओ के उक्त परिपत्रों में निर्दिष्ट प्रावधानों / शर्तों के तहत शामिल नहीं हैं। हालांकि, एतद्वारा सूचित किया जाता है कि यदि रील के कोई अधिवार्षिता पर सेवानिवृत्त / सेवानिवृत्त कर्मचारी जो ईपीएफओं के परिपत्रों में निर्दिष्ट मानदंड पूरा करते हैं, यदि चाहते हों, तो ईपीएफओ के परिपत्र दिनांक 29/12/2022 के पैरा 6 और 7 जिन्हें शुद्धिपत्र दिनांक 05/01/2023 के साथ पढ़ा जाना है, में दर्शित अनुसार सहायक दस्तावेजों के साथ प्रक्रिया के अनुसार, ईपीएफओ (जहाँ से वे ईपीएस, 1995 के तहत अपना पेंशन ले रहे हैं) के संबंधित क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त (आरपीएफ़सी) को अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।

As per available information, no ex-employee of REIL who had exited the EPS'95 before 01/09/2014 is covered under the provisions / conditions stipulated in the said EPFO Circulars. However, it is hereby Informed that if any superannuated / retired employees of REIL who are meeting the criteria specified in EPFO Circulars, if they so desire, may submit their option to the concerned Regional PF Commissioner of EPFO (from where they are drawing Pension under EPS, 1995) as per the procedure along with the supporting documents as indicated at Para 6 & 7 of the EPFO Circular dated 29/12/2022 read with Corrigendum dated 05/01/2023.

5.0 ऐसे कर्मचारी जो वर्तमान में कम्पनी के रोल पर हैं/पूर्व कर्मचारी जो 1 सितंबर 2014 को ईपीएस 95 योजना के सदस्य हैं/थे और जो ईपीएस 95 के तहत पेंशन में वास्तविक वेतन पर अंशदान देने के इच्छुक हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार वास्तविक वेतन पर पेंशन अनुलाभ प्राप्त करने के लिए **अनुलग्नक-ए** में दिए गए प्रारूप में संयुक्त विकल्प ले सकते हैं।

Employees currently on rolls / Ex-Employees of the Company who are/were members of the EPS 95 Scheme as on 1st September 2014 and are willing to exercise contribution on actual salary in Pension fund under EPS'95 may exercise the Joint Option in the Format at **Annexure-A** to get the benefits of pension on actual salary as directed by the Hon'ble Supreme Court.

***अस्वीकरण*** *- ऊपर बताए गए अनुसार संयुक्त विकल्प फार्म प्रस्तुत करने के लिए ईपीएफओ के दिशा-निर्देश / परिपत्र अब तक जारी नहीं हुए हैं। यह परिपत्र केवल समय-सीमा का पालन करने के लिए उक्त निर्णय के कार्यान्वयन के लिए जारी किया जा रहा है जो ईपीएफओ द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले सुधार / दिशा-निर्देशों के अधीन होगा। इसलिए, कम्पनी के रोल पर विद्यमान कर्मचारियों / पूर्व कर्मचारियों द्वारा संयुक्त विकल्प फार्म प्रस्तुत करने मात्र का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि उन्हें उच्चतर पेंशन प्राप्त करने का अधिकार है या रील को उच्चतर पेंशन अदा करने की देयता बनती है। ऊपर संदर्भित संयुक्त विकल्प फार्म ईपीएफओ के अनुदेश, यदि कोई हो, के आधार पर परिवर्तन / संशोधन के अधीन होगा।*

***Disclaimer:*** *EPFO guidelines/ circular for submission of Joint Option Form as specified above are still awaited. This circular is being issued for implementation of said judgement only to adhere to the timeline and is subject to any rectification(s)/guideline(s) that may be issued by EPFO form time to time. Therefore, mere submission of the Joint Option Form by Employees on rolls/Ex-Employees does not confer any right on them to receive or any obligation on* REIL *to pay higher pension. The Joint Option Form as referred above is subject to change/ modification based on EPFO instruction, if any.*

कम्पनी के रोल पर विद्यमान कर्मचारी / पूर्व कर्मचारी जिन्हें यह संयुक्त विकल्प फार्म प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है -

Employees on rolls / Ex-Employees who are not required to submit this Joint Option Form are:

**शेष पृष्ठ 3 पर**

- जिन्होंने 1 सितंबर 2014 को या उसके बाद कार्यग्रहण किया है तथा / या जो पिछले संगठनों में ईपीएस'95 के सदस्य नहीं हैं;
  Those who have joined on or after 1st September 2014 and / or not a member of EPS'95 in previous organization(s);
- जिन्होंने 1 सितंबर 2014 से पहले कार्यग्रहण किया है और जो ईपीएस'95 के सदस्य नहीं हैं।
  Those who have joined prior to 1st September 2014 and not a member of EPS'95.

आगे की कार्रवाई करने के लिए संबंधित पी. एफ. ट्रस्ट को अग्रेषित करने के लिए मूल रूप से हस्ताक्षरित विकल्प फार्म तीन प्रतियों में (हार्ड कॉपी) का.एवंऔ.सं. विभाग को प्रस्तुत की जाएगी।
The option form in triplicate duly signed in original (hard copies) shall be submitted to P&IR Division for forwarding to respective PF Trust for further action.

पूर्व कर्मचारियों के मामले में, विकल्प फार्म दिनांक **10.02.2023** से रील की वेबसाइट (www.reiljp.com) पर उपलब्ध कराई जाएगी जिसे डाउनलोड किया जा सकता है और **तीन प्रतियों में** भरकर मूल रूप से हस्ताक्षर कर (हार्ड कॉपी) का.एवंऔ.सं. विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा और फार्म प्रस्तुत करने की पावती प्राप्त की जाएगी।
In case of Ex-Employees, the Option Form will be made available on REIL website (www.reiljp.com) w.e.f **10.02.2023** which can be downloaded and filled in **triplicate** duly signed in original (hard copies) shall be submitted to P&IR Division and obtain acknowledgement for submission.

**टिप्पणी / Note:**

1. उक्त संयुक्त विकल्प फार्म ईपीएफओ द्वारा नियमानुसार स्वीकृति के अधीन होगा। यदि ईपीएफओ बाद की तारीख में कोई विशेष प्रारूप जारी करता है तो कर्मचारियों / पूर्व कर्मचारियों को उस विशेष प्रारूप को दोबारा प्रस्तुत करना होगा।
   The Joint Option Form shall be subject to acceptance by EPFO as per rules. In case, EPFO issues specific format on a later date, Employees / Ex-Employees have to resubmit in that specified format.
2. ईपीएस'95 के तहत उच्चतर पेंशन प्राप्त करने हेतु संयुक्त विकल्प लेने के कारण कर्मचारियों / पूर्व कर्मचारियों को अंतर की राशि अदा करनी होगी।
   Employees/Ex-employees are liable to pay the required differential amount on account of opting Joint Option for higher pension under EPS'95.
3. संयुक्त घोषणा प्रस्तुत करने और व्याज सहित अंशदान विप्रेषित करने के दिशा-निर्देश और कार्यप्रणाली ईपीएफओ से अभी प्राप्त नहीं हुई है।
   Guidelines & methodology for submission of joint declaration and remittance of contribution along with interest is still awaited from EPFO.
4. एक बार लिया गया विकल्प बाद की तारीख में बदला नहीं जा सकता है और किसी भी परिस्थिति में विकल्प बदलने पर विचार नहीं किया जाएगा।
   The option exercised is irrevocable at later date and no change of option shall be entertained under any circumstances.
5. पूरी तरह उचित ढंग से भरा हुआ संयुक्त विकल्प फार्म संबंधित कर्मचारी / पूर्व कर्मचारी द्वारा दिनांक **15 फरवरी, 2023** तक का.एवंऔ.सं. विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा।
   The Joint Option form duly filled in every manner should be submitted by concerned Employee / Ex-employee to the P&IR Division by **15th February, 2023**

**शेष पृष्ठ 4 पर**

6. प्रत्येक कर्मचारी / पूर्व कर्मचारी जिन्होंने किसी अन्य संगठन जिसमें वे ईपीएस 95 योजना के सदस्य थे, से राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (रील) में कार्यग्रहण किया है, पिछले प्रत्येक संगठन के लिए **अनुलग्नक- बी** भरेंगे।
   Every Employee/Ex-employee who joined Rajasthan Electronics & Instruments Limited (REIL) from any other organization in which he/she was a member of the EPS'95 scheme should fill **Annexure-B** for every previous organization(s).

7. प्रत्येक कर्मचारी / पूर्व कर्मचारी जिन्होंने किसी अन्य संगठन जिसमें वे ईपीएस 95 योजना के सदस्य थे, से रील में कार्यग्रहण किया है, फार्म 13 **(अनुलग्नक-सी)** भरते हुए मौजूदा ईपीएस नंबर में पिछले संगठन की अपनी सेवा को शामिल करेंगे।
   Every Employee/Ex-employee who joined REIL from any other organization, in which he/she was member of EPS'95 scheme, should add their service of the previous organization in current EPS number by filling up Form 13 **(Annexure-C).**

8. ये अनुदेश ईपीएफओ के निर्देशों / अनुदेशों तथा / या इस संबंध में समय-समय पर जारी न्यायालय के निर्णय (यदि कोई हो) के अधीन हैं।
   These instructions are subject to directions/instructions of EPFO and or decision of court of law (if any) issued from time to time in this regard.

महाप्रबन्धक (वर्क्स)

**समस्त सूचना पट्ट**

**प्रतिलिपि:**

1. प्रबन्ध निदेशक कार्यालय
2. मुख्य सतर्कता अधिकारी
3. महाप्रबंधक (वर्क्स) / महाप्रबंधक (इलेक्ट्रॉनिक्स) / महाप्रबंधक (नवीन परियोजना)
4. अति. महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) / अति. महाप्रबंधक (सामाग्री प्रबंधन) / अति. महाप्रबंधक (एमएम-बीओएस) / अति. महाप्रबंधक (उत्पादन)
5. उप महाप्रबंधक (गुणवत्ता आश्वासन) / उप महाप्रबंधक (अक्षय ऊर्जा) / उप महाप्रबंधक (सामाग्री प्रबंधन) / उप महाप्रबंधक (परियोजना) / उप महाप्रबंधक (अनुसंधान एवं विकास) / उप महाप्रबंधक-I (इलेक्ट्रॉनिक्स) / उप महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी) / उप महाप्रबंधक-(आर.ई.-I) / उप महाप्रबंधक एवं टी.एस.ओ.टू.एम.डी. / उप महाप्रबंधक-II (इलेक्ट्रॉनिक्स)
6. आर.एम. (सी.आर.) / आर.एम. (लखनऊ) / आर.एम. (ई.आर.) / आर.एम. (राज.) / आर.एम. (एन.आर.)
7. उप प्रबंधक-सह-कम्पनी सचिव
8. डी. आर.एम. (गुजरात एवं महाराष्ट्र)
9. पी. आई. ओ.
10. रील श्रमिक संघ

**<u>अनुलग्नक-ए / ANNEXURE-A</u>**

## ईपीएस'95 के पूर्ववर्ती पैरा 11(3) और पैरा 11(4) के तहत संयुक्त विकल्प

**Joint Option under Erstwhile Para 11(3) & Para 11(4) of EPS'95**

सेवा में / **To,**
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त
The Regional Provident Fund Commissioner,
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Employees Provident Fund Organization,
______________________________

विषय: 2019 के एसएलपी (सी) संख्या 8658-8659 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय के आधार पर ईपीएस-1995 के पूर्ववर्ती पैरा 11(3) और पैरा 11(4) के तहत संयुक्त विकल्प।

**Sub:** Joint Option under the erstwhile Para 11(3) and Para 11(4) of EPS-1995, based upon the Hon'ble Supreme Court's Judgment dated 04.11.2022 in SLP (C) No. 8658-8659 of 2019.

***

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 4 नवंबर 2022 के उपरोक्त आदेश के पैरा 43 और पैरा 44 (ii) और (iv) की ओर संदर्भ आमंत्रित किया जाता है जिसमें पात्र कर्मचारियों / पूर्व कर्मचारियों और उनके नियोक्ता को निर्णय की तारीख से 4 महीने की अवधि के भीतर ईपीएस 95 के पूर्ववर्ती पैरा 11(3) और 11(4) के तहत एक संयुक्त विकल्प प्रस्तुत करना आवश्यक है।

Reference is invited towards Para 43 and Para 44(ii) & (iv) of the aforesaid order dated 4th November 2022 of Hon'ble Supreme Court of India, eligible Employees/Ex-employees and his/her employer are required to submit a joint Option under erstwhile para 11(3) and 11(4) of the EPS'95 within a period of 4 months from the date of judgment.

चूंकि ईपीएफओ द्वारा संयुक्त विकल्प के लिए कोई प्रारूप प्रदान नहीं किया गया है (ईपीएफओ की वेबसाइट पर भी उपलब्ध नहीं है), आर सी गुप्ता निर्णय को लागू करते समय विभिन्न आरओ / ईपीएफओ द्वारा वर्ष 2017 और 2018 में जारी समान प्रारूपों के आधार पर उपरोक्त आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए, हम (कर्मचारी/पूर्व कर्मचारी और नियोक्ता) ईपीएफ अधिनियम, 1952 के तहत समय-समय पर निर्धारित उच्चतम सीमा के बजाय वास्तविक वेतन पर पेंशन का दावा करने के लिए ईपीएस-1995 के पूर्ववर्ती पैरा 11(3) और पैरा 11(4) के तहत आवश्यक संयुक्त विकल्प फॉर्म एतद्वारा जमा कर रहे हैं।

Since no format for the Joint Option has been provided by EPFO (also not available on EPFO's website), based on similar formats issued by various ROs / EPFO in the year 2017 & 2018 while implementing the RC Gupta Judgment; in order to comply with the above requirement, we (Employee/Ex-employee and Employer) are hereby submitting the Joint Option Form as required under erstwhile Para 11 (3) & Para 11(4) of EPS-1995, for claiming pension on actual salary instead of ceiling fixed from time to time under the EPF Act, 1952.

## कर्मचारियों / पूर्व कर्मचारियों का विवरण / Particulars of Employees / Ex Employees:

| ☐ रोल पर विद्‌यमान कर्मचारी Employee on rolls | | ☐ पूर्व कर्मचारी Ex-Employee |
|---|---|---|
| **क्र.सं. S.No.** | **विवरण / Description** | **ब्यौरा / Details** |
| 1 | नाम / Name | |
| 2 | संदर्भ संख्या / Ref. No. | |
| 3 | ईपीएस खाता संख्या / EPS Account Number | |
| 4 | पिछले संगठन का ईपीएस खाता संख्या (यदि कोई हो) EPS Account Number of Previous organization (if any) | |
| 5 | यूएएन संख्या / UAN No. | |
| 6 | आधार संख्या / Aadhar No. | |
| 7 | जन्म तिथि / Date of Birth | |
| 8 | ईपीएस योजना 1995 में शामिल होने की तिथि / Date of Joining in EPS Scheme 1995 | |
| 9 | सेवा छोड़ने की तिथि या 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि जो भी पहले हो (यदि कोई हो) Date of leaving service or date of attaining the age of 58 years whichever is earlier (if any) | |
| 10 | पत्राचार का पता / Correspondence Address | |
| 11 | ईमेल आईडी / E-mail ID | |
| 12 | मोबाइल नंबर / Mobile number | |
| 13 | पीपीओ संख्या (यदि कोई हो) की प्रति संलग्न करें / PPO Number (if any) attach copy | |
| 14 | पेंशन वितरण बैंक और शाखा का नाम (यदि कोई हो) / Name of Pension Disbursing Bank and Branch (if any) | |
| 15 | आईएफएससी कोड और एमआईसीआर नंबर (यदि कोई हो) संलग्न रद्द चेक / बैंक पास बुक कॉपी के साथ बैंक खाता संख्या जहाँ पेंशन जमा की जा रही है / Bank Account Number where Pension is being credited with IFSC Code and MICR No. (if any) attached cancelled cheque / Bank pass book copy. | |

## कर्मचारी / पूर्व कर्मचारी द्वारा घोषणा / Declaration by Employee / Ex-Employees

प्रमाणित किया जाता है कि राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (रील) में कार्यग्रहण करने के तुरंत बाद, मैं अपने वास्तविक वेतन पर भविष्य निधि में योगदान कर रहा/रही हूँ और उतनी ही राशि का अंशदान नियोक्ता द्वारा भी मेरे पीएफ में की जाती है, जैसा कि ईपीएफ योजना, 1952 के पैरा 26(6) के तहत वर्णित है।

It is certified that, immediately after joining Rajasthan Electronics & Instruments Limited (REIL), I have been contributing towards the Provident Fund on my actual salary and an equal amount used to be contributed in my PF by the Employer also as provided under Para 26(6) of EPF Scheme, 1952.

आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वैधानिक उच्चतम सीमा राशि का 8.33% यानी नियोक्ता के अंशदान में से 15,000/- रुपये प्रति माह (पहले 5,000/- रुपये प्रतिमाह या 6,500/- रुपये प्रतिमाह) 16 नवंबर 1995 से या कार्यग्रहण करने की तिथि, इनमें से जो भी बाद में हो, से कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में हर महीने प्रेषित किया गया था।

It is to further certify that, an amount @ 8.33% of the statutory celling amount i.e., Rs. 15,000/- per month (earlier Rs. 5,000/- pm or Rs. 6,500/- pm) out of the employer's contribution had been remitted every month towards Employees Pension Scheme, 1995, since 16th November 1995 or the date of joining whichever is later.

मैं एतदद्वारा ईपीएस'95 में शामिल होने की तारीख से मेरी 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने / वीआरएस / इस्तीफा देने तक अपने वास्तविक वेतन का 8.33% पेंशन फंड (ईपीएस'95 के तहत पहले से ही अंतरित राशि की ऊपरी सीमा पर समायोजित करने के बाद) में लगाने का विकल्प चुनता/चुनती हूँ।

I do hereby opt for diverting @ 8.33% of my actual salary towards pension fund (after adjusting the amount already diverted under EPS 95 on ceiling) from the date of joining the EPS'95 till my attaining the age of 58 years / VRS / resignation.

मैं एतदद्वारा, पीएफ ट्रस्ट को उपार्जित ब्याज सहित अंतर राशि को स्थानांतरित करने के लिए अधिकृत करता/करती हूँ, जिससे मै वैधानिक सीमा के बजाय वास्तविक वेतन पर पेंशन आहरित करने के लिए पात्र बनता/बनती हूँ।

I hereby authorize, PF Trust to transfer the differential amount with interest accrued thus making me eligible for drawing pension on the actual salary instead of being based on the statutory limit.

**(जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाएं / *Tick whichever is applicable*)**

☐ मैंने अपनी सेवानिवृत्ति / वीआरएस / इस्तीफा पर भविष्य निधि की पूरी राशि पहले ही निकाल ली है और मैं ईपीएफओ के दिशानिर्देशों के अनुसार वास्तविक राशि का भुगतान करने के लिए तैयार हूँ।
I have already withdrawn entire Provident Fund on my Retirement / VRS / Resignation and I am ready to pay the actual amount as per EPFO guidelines.

☐ यदि मेरी संचित भविष्य निधि राशि कम हो जाती है, तो मैं कमी की राशि का भुगतान करने के लिए तैयार हूँ।
In case my accumulated Provident Fund balance falls short, I am ready to pay the shortfall amount.

**मैं समझता / समझती हूँ कि / I understand that:**

- मेरे द्वारा प्रस्तुत संयुक्त विकल्प फार्म ईपीएफओ द्वारा स्वीकृति के अधीन होगा;
  The Joint Option Form submitted by me shall be subject to acceptance by EPFO;
- प्रयोग किया गया विकल्प बाद की तारीख में अपरिवर्तनीय है, और किसी भी परिस्थिति में विकल्प के परिवर्तन के लिए कोई दावा नहीं किया जाएगा या उस पर विचार नहीं किया जाएगा;
  The Option exercised is irrevocable at any later date, and no claim for changes of Option shall be entertained or considered under any circumstances;

Contd...2/-

- केवल संयुक्त विकल्प फार्म जमा करने से ही मुझे उच्च पेंशन प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं मिलता है और न ही रील पर उस पेंशन का भुगतान करने का दायित्व होगा;
  mere submission of Joint Option Form does not confer any right on me to receive higher pension nor an obligation on REIL to pay higher pension;
- यहाँ दिया गया विकल्प ईपीएफओ के अनुदेशों / दिशानिर्देशों/निर्देशों के अधीन है जो समय-समय पर जारी किए जा सकते हैं।
  The Option exercised herein is subject to the EPFO instructions/guidelines / directives that may be issued from time to time.

मैं यह भी वचन देता / देती हूं कि यदि इस संबंध में किसी अन्य कानूनी औपचारिकता की आवश्यकता होगी, तो मैं तदनुसार उसे पूरा करने के लिए तैयार हूँ।
I also undertake that if any other legal formality is required in this regard, I am ready to do accordingly.

स्थान / Place:
दिनांक / Date:

**(हस्ताक्षर / Signature)**

नाम /Name : ........................................................................................
संदर्भ संख्या / Ref. No.: ...........................................................................

## नियोक्ता द्वारा वचनबद्धता / UNDERTAKING BY THE EMPLOYER

मैं,____________________________________________, ____________ (नाम और पदनाम) एतद्वारा प्रमाणित करता / करती हूँ कि श्री/श्रीमती/सुश्री ____________________________________________, संदर्भ संख्या __________ राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड के कर्मचारी हूँ / थे। ईपीएफ योजना, 1952 के पैरा 26(6) की शर्तों के अनुसार, सदस्य अपने वास्तविक वेतन पर भविष्य निधि में अंशदान करते आ रहे हैं। इस संस्थापना द्वारा भी समान हिस्से का अंशदान किया जा रहा है।

I,____________________________________________, ______________ (Name & Designation) do hereby certify that Shri/Smt./Ms.______________________________, Reference No.____________ is / was an employee of Rajasthan Electronics & Instruments Limited. The member has/had been contributing towards Provident Fund on his / her actual salary, as per the terms of Para 26(6) of EPF Scheme, 1952. Equal share is also contributed by this establishment too.

इस संस्थापना को कोई आपत्ति नहीं है यदि वह 16.11.1995 से नियोक्ता के हिस्से के 8.33% की अंतर राशि को या उसके कार्यग्रहण की तारीख से या जब उसका वेतन वैधानिक सीमा से अधिक हो जाता है, इनमें से जो भी बाद में देय हो, तो ईपीएफ योजना, 1952 के तहत समय-समय पर घोषित ब्याज के साथ, उसके पीएफ खाते से ईपीएफओ द्वारा बनाए गए पेंशन फंड में स्थानांतरित / अंतरित करता है, इस प्रकार वह ईपीएस, 1995 के पूर्ववर्ती पैरा 11(3) और 11(4) के अनुसार वैधानिक सीमा के बजाय अपने वास्तविक वेतन पर पेंशन लेने के लिए पात्र हो जाता है। यह पद्धति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के फैसले के अनुरूप अपनाई जा रही है।

This establishment has no objection if he/she transfers/diverts the differential amount @ 8.33% of the employers share w.e.f. 16.11.1995 or from his/her date of joining or when his/her salary exceeded the statutory limit, whichever is later, along with due interest as declared under EPF Scheme, 1952 from time to time, from his/her PF A/c. to Pension Fund maintained by EPFO, thus making him/her eligible for drawing pension on his/her actual salary, instead of, on the statutory limit as per erstwhile Para 11(3) & 11(4) of EPS, 1995. This exercise is being carried out in consonance with the Judgment of the Hon'ble Supreme Court dated 04.11.2022.

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण उपलब्ध कार्यालय अभिलेखों के अनुसार सही है।
I certify that the particulars furnished above are correct as per the available Office Records.

स्थान / Place:
दिनांक / Date:

**(नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर के साथ हस्ताक्षर)**
**(Signature with Name, Designation & Office Seal)**

**अनुलग्नक बी / ANNEXURE-B**

किसी अन्य संगठन जिसमें वे ईपीएस'95 योजना का सदस्य थे, से राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (रील) में शामिल होने वाले कर्मचारी / पूर्व कर्मचारी द्वारा भरा जा ए।

**To be filled by an employee/ex-employee joining Rajasthan Electronics & Instruments Limited (REIL) from another organization in which he was a member of the EPS 95 scheme.**

*(प्रत्येक पिछले संगठन जिसमें कर्मचारी ईपीएस 95 के सदस्य से, के लिए अलग फार्म भरा जाए।*

*Separate form should be filled for each previous organization in which employee was member of EPS'95)*

| क्र.सं. S.No. | विवरण / Description | ब्यौरा / Details |
|---|---|---|
| 1 | कर्मचारी का नाम / Name of Employee | |
| 2 | पिछली संस्थापना का नाम / Previous establishment Name | |
| 3 | पिछली संस्थापना का पता / Previous establishment address | |
| 4 | पिछली संस्थापना का पीएफ कोड / Previous establishment PF code | |
| 5 | पीएफ खाता धारक (ईपीएफ कार्यालय / पीएफ ट्रस्ट का नाम) / PF Account is held by: (Name of EPF Office/ PF Trust) | |
| 6 | पिछली संस्थापना में ईपीएस 95 में शामिल होने की तिथि / Date of Joining EPS 95 in previous establishment | |
| 7 | पिछली संस्थापना में ईपीएस'95 से निर्गमन की तिथि / Date of Exit EPS'95 in previous establishment | |
| 8 | पिछली संस्थापना की ईपीएस संख्या / EPS number of previous establishment | |
| 9 | पिछली संस्थापना का यूएएन / UAN of previous establishment | |

मैं एतदद्वारा समझता हूँ कि, ईपीएफओ द्वारा मेरे संयुक्त विकल्प फार्म को स्वीकार करने पर मैं अपने पिछले नियोक्ता से देय ब्याज के साथ प्रमाणित अंशदान के विवरण प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हूँ, अन्यथा संयुक्त विकल्प आवेदन अमान्य हो जाएगा।

I hereby understand that, on acceptance of my Joint Option Form by EPFO, I am responsible to provide certified contribution workings along with due interest from my previous employer, falling which Joint Option application will become null and void.

उपर्युक्त विवरण सही है और मै घोषित तथ्यों के कारण होने वाले किसी भी परिणाम को वहन करने के लिए उत्तरदायी हूँ। The above particulars are correct, and I am liable to bear any consequence arising on the facts declared.

स्थान / Place:

दिनांक / Date

**कर्मचारी / पूर्व कर्मचारी के हस्ताक्षर**
**Signature of Employee / Ex-Employee**

**कर्मचारी / पूर्व कर्मचारी का नाम-**
**Name of Employee / Ex-Employee:**
**संदर्भ संख्या / Ref. No.:**

अनुलग्नक-सी / ANNEXURE-C

**अंतरण दावा फॉर्म**

**फॉर्म 13 (संशोधित )**

**दावा आई डी.** ----------------------------

(केवल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रयोग हेतु)

**कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952**

**(पैरा 57)**

सेवा में,

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

कार्यालय का नाम : ____________________

कार्यालय का पता : ____________________

____________________

(कृपया अनुदेश 3 देखें)

सेवा में,

न्यास का नाम : ____________________

न्यास का पता : ____________________

____________________

____________________

(यदि भ.नि. राशि छूट प्राप्त स्थापना के पास है )

**महोदय,**

आपसे अनुरोध है कि मेरे पेंशन सेवा के विवरण सहित मेरी भविष्य निधि बकाया राशि को मेरे वर्तमान खाते में अंतरित करें तथा इसकी सूचना मुझे भी दें । मेरा विवरण निम्नलिखित है :

**भाग (क) : व्यक्तिगत जानकारी**

1. *नाम : ____________________
2 *पिता/पति का नाम : ____________________
3. मोबाईल नंबर : ____________________ 4. ई -मेल आई डी : ____________________
5. बैंक खाता संख्या : ____________________ 6. बैंक की शाखा का आई एफ एस कोड : ____________________

**भाग (ख) : पिछले खाते का विवरण (जिस का अंतरण किया जाना है)**

1. *भविष्य निधि खाता संख्या : ____________________
   यदि पिछली स्थापना कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अंतर्गत छूट प्राप्त है
   पेंशन निधि खाता संख्या : ____________________
2. *पिछली स्थापना का नाम व पता : ____________________
   ____________________
3. *भविष्य निधि खाते का रखरखाव करने वाला:(ईपीएफ कार्यालय / भविष्य निधि न्यास का नाम)____________________
4. *जन्म तिथि : ____________________ (दिन/माह/वर्ष)
5. * शामिल होने की तिथि : ____________________ (दिन/माह/वर्ष)
6. *छोड़ने की तिथि : ____________________ (दिन/माह/वर्ष)

**भाग (ग) : वर्तमान खाते का विवरण**

1. *भविष्य निधि खाता संख्या : ____________________
   यदि वर्तमान स्थापना कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अंतर्गत छूट प्राप्त है
   पेंशन निधि खाता संख्या : ____________________
2. *वर्तमान स्थापना का नाम एवं पता : ____________________
   ____________________
3. *भविष्य निधि खाते का रखरखाव करने वाला: (ईपीएफ कार्यालय / भविष्य निधि न्यास का नाम)____________________

4. * शामिल होने की तिथि: ______________________ (दिन/माह/वर्ष)

5. #न्यास का नाम (वर्तमान स्थापना के कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अंतर्गत छूट प्राप्त होने की स्थिति में जिसे राशि का भुगतान किया जाना है): ______________________

6. #न्यास के अंतर्गत कर्मचारी का कोड ______________________

**(*अवश्य भरा जाए)** **(# यदि लागू न हो तो काट दे)**

**मैं प्रमाणित करता हूँ /करती हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई सभी सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सही है तथा मेरी वर्तमान तथा पूर्व खाता संख्या भी सही है ।**

**सदस्य के हस्ताक्षर**

दिनांक:__________

**महत्वपूर्ण : सदस्य के पास अपने वर्तमान अथवा पूर्व नियोक्ता से दावा फॉर्म को सत्यापित करवाने का विकल्प है । पूर्व नियोक्ता से सत्यापन करवाने की स्थिति में, निपटान में लगने वाला समय अपेक्षाकृत कम होगा ।**

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस फॉर्म के भाग (क) मे उल्लिखित सदस्य के संबंध में भाग (ख) में दिए गए विवरण तथा सदस्य के हस्ताक्षर की जांच कर ली है ।

**पूर्व नियोक्ता के हस्ताक्षर**

स्थापना की मोहर

दिनांक : __________

**अथवा**

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस फॉर्म के भाग (क) मे उल्लिखित सदस्य के संबंध में भाग (ग) में दिए गए विवरण की जांच कर ली है ।

**वर्तमान नियोक्ता के हस्ताक्षर**

स्थापना की मोहर

दिनांक : __________

---

## अनुदेश एवं निर्देश

1. बैंक खाते का विवरण सत्यापन के उद्देश्य के लिए है, यद्यपि राशि का अंतरण वर्तमान खाता संख्या का रखरखाव कर रहे ईपीएफ कार्यालय/न्यास में किया जाएगा ।
2. यदि पिछले खाते का रखरखाव छूट प्राप्त स्थापना के भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता था, तो सदस्य को एक अंतरण दावा फॉर्म {फॉर्म 13 (संशोधित)} न्यास में तथा दूसरा अंतरण दावा फॉर्म {फॉर्म 13 (संशोधित)} ईपीएफ कार्यालय में भेजना होगा जिससे कि नए खाते में पेंशन निधि के अंतर्गत सेवा विवरण अंतरित किया जा सके ।
3. फॉर्म को उस ईपीएफ कार्यालय में जमा किया जाए जिसमें पूर्व अथवा वर्तमान खाते का रखरखाव किया गया हो, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि किस नियोक्ता ने दावे का सत्यापन किया है । (यदि दावे का सत्यापन वर्तमान नियोक्ता द्वारा किया गया है, तो उस ईपीएफ कार्यालय में दावा जमा किया जाए जिसमें वर्तमान खाता है आदि )
4. सदस्य के मोबाईल नंबर (जहाँ भी उपलब्ध कराया गया हो) का प्रयोग उसे एस एम एस भेजकर उसके दावे पर चल रही कार्रवाई के विषय में सूचित करने हेतु किया जाएगा तथा यह व्यक्तिगत रूप से दिए गए फॉर्म के लिए अनिवार्य नहीं है ।

अनुलग्नक-सी / ANNEXURE-C

**TRANSFER CLAIM FORM**

**FORM 13 (REVISED)**

**CLAIM ID** ______________________

(For EPFO Use only)

**EMPLOYEES' PROVIDENT FUND SCHEME, 1952**
**(PARA 57)**

To,
The Regional P F Commissioner,
Office Name: ____________________
Office Address: __________________
__________________________________
(Please see instruction 3)

To,
Trust Name: ______________________
Trust Address: ____________________
__________________________________
__________________________________
(in case the PF A/C is with Exempted Establishment)

**Sir,**

I request that my provident fund balance along with my pension service details may please be transferred to my present account under intimation to me. My details are as under:

**PART A: PERSONAL INFORMATION**

1. *Name: ______________________
2. *Father's/Husband's name: ______________________
3. Mobile number: ______________ 4. E-mail id: ______________
5. Bank A/C number: ______________ 6. IFS code of Bank branch: ______________

**PART B: DETAILS OF PREVIOUS ACCOUNT (WHICH IS TO BE TRANSFERRED)**

1. *PF Account No. : ______________________
   *In case the previous establishment is exempted under Employees' Provident Fund Scheme,1952*
   Pension Fund Account No. :______________________
2. *Name and Address of the previous establishment: ______________________
   ______________________
3. *PF Account is held by: (Name of EPF Office/ PF Trust) ______________________
4. *Date of Birth: ____________ (dd/mm/yyyy) 5. *Date of joining :____________(dd/mm/yyyy)
6. *Date of leaving: ____________ (dd/mm/yyyy)

**PART C: DETAILS OF PRESENT ACCOUNT**

1. *PF Account No. :______________________
   *In case the present establishment is exempted under Employees' Provident Fund Scheme,1952*
   Pension Fund Account No. :______________________
2. *Name and Address of the present establishment: ______________________
   ______________________

3. *Account is held by: (Name of EPF Office / PF Trust) ______________________________

4. *Date of joining :____________________(dd/mm/yyyy)

5. #Name of Trust (to whom funds are to be paid in case of present establishment being exempted under EPF Scheme, 1952) :______________________________

6. #Employee code under the Trust: ______________________________

*(* indicates mandatory fields)* *(# Strike off if not applicable)*

**I, Certify that all the information given above is true to the best of my knowledge and I have ensured the correctness of my present and previous account numbers.**

**Signature of the Member**

**Date: ______________**

**IMPORTANT:** ***Member has the option to get the claim form attested by present or previous employer. In case of attestation by the previous employer, time taken in settlement will be relatively less.***

Certified that I have verified the data in Part B in respect of the member mentioned in Part A of this form and the signature of the member.

**Signature of Previous Employer**

Seal of the Establishment **Date: ______________**

**OR**

Certified that I have verified the data in Part C in respect of the member mentioned in Part A of this form.

**Signature of Present Employer**

Seal of the Establishment **Date: ______________**

---

## INSTRUCTIONS AND GUIDELINES

1. The Bank A/C details are for verification purpose even if the Fund is transferred to the EPFO Office/Trust maintaining the present account number.
2. In case the Previous Account was maintained by PF Trust of the exempted establishment, the member should submit a Transfer Claim Form {Form-13(Revised)} to the Trust while sending another Transfer Claim Form {Form-13(Revised)} to the PF Office for transferring the service details under the Pension Fund to the new account.
3. The Form should be submitted to that PF Office under which previous or the present account is maintained, depending upon as to which employer has attested the claim. (In case the claim is attested by the present employer, claim should be submitted with the PF Office under which the present account is maintained, and so on).
4. The mobile number (wherever provided) of the member would be used for sending an SMS alert informing him/her the processing of his/her claim and is non-mandatory for Physical form.